न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 92/2012/225 आरटीए

ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

——अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. कासीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शकुन्तला बेवा मुला जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रकाश पुत्र मुला जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. गुलाबसिंह पुत्र मुला जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रोशनी पुत्री मुला जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजबाला पुत्री मुला जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 127/2012 अनवानी कासीराम आदि बनाम ओमप्रकाश

उपस्थित :—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक —12.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर उसके साथ आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया कि ग्राम बुढेर के खाता सं. 12/12 के खसरा नं. 198 की 0.6200 है0, खसरा नं. 250 की 2.820 है0, खसरा नं. 260/2 की 0.750 है0, खसरा नं. 148 की 1.821 है0 कुल 6.0200 है0 बारानी खातेदारी भूमि मे वादी सं. 1 का 158⅔ हिस्सा, वादी सं. 2 से 6 के पति/पिता मूला के नाम 158⅔ हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 144 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का 14⅔ हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता की है जिसमे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। दावा मे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता सांवतराम ने संयुक्त खाता की भूमि मे से गैरसायल ओमप्रकाश को विक्रय की है। दिनांक को 28.07.72 को गैरसायल के पक्ष मे करवाया गया विशिष्ट खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा कच्ची भूमि का बैयनामा वादीगण के हको तक विशिष्ट खसरा नम्बर की बाबत अपनी जात से ही शून्य व प्रभावहीन है। वाद भूमि मे से कुछ भूमि नहर के पास होने के कारण अच्छी किस्म कीहै व कुछ भूमि टिब्बो की है। गैरसायल जबरदस्ती ताकत के बल

पर नहर के पास वाली भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे है। इसलिये गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह सायलान के अच्छी मे से अच्छी व मंदी मे से मंदी के मुताबिक उनके हिस्से तक प्रत्येक खसरो मे काश्त करने नही रोके एवं उनके कब्जा काश्त मे दखल नही देवे तथा स्वयं या अपने आदमियों द्वारा उक्त शून्य एवं प्रभावहीन तथाकथित बैयनामा के आधार पर विशिष्ट खसरा नं. 148 की भूमि पर संयुक्त खाते मे प्राप्त होने वाली अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर जबरदस्ती नही करें। जिस पर अपीलांट/गैरसायल ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए गैरसायल/अपीलांट के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पो. का आवेदन पत्र स्वीकार करने का मुख्य आधार यह लिया है कि क्रेता एक अजनबी काश्तकार है संयुक्त खातेदारी भूमि बंटवारा किये बिना उसकी स्थिति एक अजनबी की हैसियत से रहेगी। जबकि अपीलांट गैरसायल का बैयनामा सन् 1972 के आधार पर खसरा नं. 218 के 10.18 बीघा भूमि का कब्जा दिया जाना सिद्ध था तभी से अपीलांट का प्रश्नगत खसरा जो वर्तमान मे खसरा नं. 148 की 1.8210 है0 मे तब्दील हो चुका है पर कब्जा काश्त होना सिद्ध था इसके विपरीत पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था। अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर काबिज होने की सूरत मे अजनबी काश्तकार की स्थिति नही रखता था ऐसी स्थिति मे आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण किसी सूरत मे सिद्ध नही होने के कारण काबिले खारिज था। अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज हो ऐसा कोई पत्रावली पर साक्ष्य नही है तथा अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होने की सूरत मे वह अपनी भूमि पर प्राप्त अधिकारो स्वत को स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करने हेतु पूर्णत स्वतंत्र है इसलिये उसके विरूद्ध किसी सूरत मे अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती थी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब आवेदन पत्र मे कथन किये थे कि गैरसायल ने खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा भूमि जरिये बैयनामा क्रय की थी। विवादित भूमि के मूल खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा उत्तरदाता के भूमि खरीदने से पूर्व यानि आज से 40 साल पूर्व ही हो चुका था जिसके ताबे उत्तरदाता को मूल खातेदार सांवतराम ने मुताबिक बांहमी बंटवारा अपने हिस्से मे आई अपने कब्जा काश्त की खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा भूमि विक्रय की व विक्रय पत्र मे विक्रित भूमि के आसा पासा यानि चोहदी का मय नक्शा विवरण दर्ज

है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017(1) पेज 360, आरआरडी 2017 पेज 166, आरआरटी 2012(2) पेज 1439, आरआरडी 2004 पेज 179, आरआरटी 2014(1) पेज 98 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि ग्राम बुढेर के खाता सं. 12/12 के खसरा नं. 198 की 0.6200 है0, खसरा नं. 250 की 2.820 है0, खसरा नं. 260/2 की 0.750 है0, खसरा नं. 148 की 1. 821 है0 कुल 6.0200 है0 बारानी खातेदारी भूमि मे वादी सं. 1 का 158⅔ हिस्सा, वादी सं. 2 से 6 के पति/पिता मूला के नाम 158⅔ हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 144 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का 14⅔ हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता की है जिसमे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। दावा मे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता सांवतराम ने संयुक्त खाता की भूमि मे से गैरसायल ओमप्रकाश को विक्रय की है। दिनांक को 28.07.72 को गैरसायल/अपीलांट के पक्ष मे करवाया गया विशिष्ट खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा कच्ची भूमि का बैयनामा वादीगण के हको तक विशिष्ट खसरा नम्बर की बाबत अपनी जात से ही शून्य व प्रभावहीन है। वाद भूमि मे से कुछ भूमि नहर के पास होने के कारण अच्छी किस्म की है व कुछ भूमि टिब्बो की है। गैरसायल/अपीलांट जबरदस्ती ताकत के बल पर नहर के पास वाली भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे है। इसलिये गैरसायल/अपीलांट के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी आधार पर रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिसमे धीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए गैरसायल/अपीलांट के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1996 पेज 149 से 153, आरआरडी 1993 पेज 650 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे जवाब आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मे वर्णित तथ्यो पर कथन करते हुए आवेदन पत्र अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रति अनवानी प्रकरण स्टेट बनाम काशीराम आदि प्रकरण सं. 783/13 दिनांक 16.05.2017 अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया कि ग्राम बुढेर के खाता सं. 12/12 के खसरा नं. 198 की 0.6200 है0, खसरा नं. 250 की 2.820 है0, खसरा नं. 260/2 की 0.750 है0, खसरा नं. 148 की 1.821 है0 कुल 6. 0200 है0 बारानी खातेदारी भूमि मे वादी सं. 1 का 158⅔ हिस्सा, वादी सं. 2 से 6 के पति/पिता मूला के नाम 158⅔ हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 144 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का 14⅔ हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता की है जिसमे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। दावा मे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता सांवतराम ने संयुक्त खाता की भूमि मे से गैरसायल ओमप्रकाश को विक्रय की है। दिनांक को 28.07.72 को गैरसायल के पक्ष मे करवाया गया विशिष्ट खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा कच्ची भूमि का बैयनामा वादीगण के हको तक विशिष्ट खसरा नम्बर की बाबत अपनी जात से ही शून्य व प्रभावहीन है। वाद भूमि मे से कुछ भूमि नहर के पास होने के कारण अच्छी किस्म कीहै व कुछ भूमि टिब्बो की है। गैरसायल जबरदस्ती ताकत के बल पर नहर के पास वाली भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे है। इसलिये गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। जबकि अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट ने जरिये बैयनामा 28.07.72 खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा भूमि जरिये बैयनामा क्रय की थी। विवादित भूमि के मूल खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा उत्तरदाता के भूमि खरीदने से पूर्व यानि आज से 40 साल पूर्व ही हो चुका था जिसके ताबे उत्तरदाता को मूल खातेदार सांवतराम ने मुताबिक बांहमी बंटवारा अपने हिस्से मे आई अपने कब्जा काश्त की खसरा नं. 218 की 10.18 बीघा भूमि विक्रय की व विक्रय पत्र मे विक्रित भूमि के आसा पासा यानि चोहदी का मय नक्शा विवरण दर्ज है।

6. वर्तमान मे उक्त खसरा नं. 218 का नया खसरा नं. 148 है जिसमे 1.8210 है0 भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत दिनांक 07.07.2012 को रेस्पो0 ने अपीलांट की कब्जा काश्त भूमि मे खडी फसल पर ट्रेक्टर चला कर नष्ट कर दी जिसके उपरांत अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्ध पुलिस थाना भिरानी मे प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा के यहां प्रकरण दर्ज होने के उपरांत उसमे दिनांक 16.05.2017 को निर्णय पारित कर

निर्णय मे ओमप्रकाश यानि अपीलांट का कब्जा होना माना तथा फसल नष्ट करने का रेस्पो0 को दोषी माना इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना साबित है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं इसके प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 07.07.2012 को अपीलांट खरीदशुदा कब्जा काश्त की भूमि पर रेस्पो0 द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने प्रयास करते हुए अपीलांट की खडी फसल नष्ट की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस थाना भिरानी मे दर्ज करवाई और प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा के यहां प्रकरण दर्ज हुआ और दिनांक 16.05.2017 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा मानते हुए रेस्पो. को अपीलांट की कब्जा काश्त भूमि मे खडी फसल को नष्ट करने का दोषी माना गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका कब्जा काश्त संबंधी तथ्यो की जांच किये बिना ही वादग्रस्त भूमि हेतु स्थगन आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा मे दायर वाद मे पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण मे मौका कमीश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संबंधी तथ्यों जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़